

राजस्थान सरकार  
अभियोजन निदेशालय राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:—स.3(17)(1)अराज/स्था/अभि/19/8429-37

दिनांक: 31.07.20


—आदेश:—

निदेशालय के आदेश क्रमांक स.3-2(11)स्था/अभि/ 2017/221-80 दिनांक 10.04.18 के द्वारा तालिका मे वर्णित निम्न सहायक अभियोजन अधिकारियों को 02 वर्ष के परीवीक्षा काल में निर्धारित नियत पारिश्रमिक पर अस्थाई नियुक्ति प्रदान की गई थी।

इनके द्वारा परीवीक्षाधीन प्रशिक्षु के रूप में 02 वर्ष की संतोषप्रद सेवा कालम संख्या 06 में अंकितानुसार दिनांक को पूर्ण करने पर इनके नाम के सम्मुख कालम सं. 07 में अंकित दिनांक से वेतन नियमितकरण किया जाता है। परीवीक्षाकाल पूर्ण करने के फलस्वरूप इन्हे राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2017 के नियम 17 के अन्तर्गत **पे मेट्रिक्स लेवल -11** में वेतन व नियमानुसार भत्तों के भुगतान की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है:—


क्र.सं.	नाम कार्मिक	नियुक्ति आदेश	कार्यग्रहण दिनांक	कुल असाधारण अवकाश	02 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने की दिनांक	नियमित करने की दिनांक
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्री उपेन्द्र सिंह पुत्र श्री दिलबाग सिंह	221-80/10.04.18	11.04.2018	—	10.04.2020	11.04.2020
2.	श्री अविनाश चांगल पुत्र श्री संतोष कुमार	221-80/10.04.18	12.04.2018	10	11.04.2020	12.04.2020
3.	श्री गोविन्द सिंह पुत्र श्री शिशपाल सिंह	221-80/10.04.18	11.04.2018	—	10.04.2020	11.04.2020

राजस्थान सरकार के अधीन अन्य पद पर नियमित रूप से सेवारत रहे कार्मिकों (जिनके द्वारा परीवीक्षा अवधि में पूर्व पद का वेतन प्राप्त किया जा रहा है) का परीवीक्षाकाल समाप्ति पर वेतन निर्धारण वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक F.15(1)FD/Rules/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के निर्देशानुसार राजस्थान सेवा नियम के नियम 26 के अन्तर्गत किया जावेगा।

  
(वी. सरवन कुमार)  
निदेशक अभियोजन,  
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि:— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

- 1—निजी सचिव, निदेशक अभियोजन राजस्थान जयपुर।
- 2—उप निदेशक अभियोजन, उदयपुर/बीकानेर।
- 3—सहायक निदेशक अभियोजन, चित्तौड़गढ़/हनुमानगढ़।
- 4—सम्बन्धित अधिकारी द्वारा सहायक निदेशक अभियोजन चित्तौड़गढ़/ हनुमानगढ़।
- 5—समस्त शाखा अभियोजन निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
- 6—निजी/रक्षित पत्रावली।

  
निदेशक अभियोजन,  
राजस्थान, जयपुर